पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 310/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 05.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- तरवां जनपद आजमगढ़: सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना तरवाँ पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 01. फैय्याज अंसारी पुत्र सौकत अली निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जि0 आजमगढ़ तथा 02. सोएब पुत्र कमरूदिन ग्राम भिलउली खालसाह थाना तहबरपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27-09-024 को वादिनी की पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को लेकर लालगंज के एक अर्ध निर्मित रेस्टोरेन्ट मे ले गये जहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया,जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/24 धारा 70(1) वी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 05.10.2024 निरीक्षक कमलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. फैय्याज अंसारी पुत्र सौकत अली निवासी महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष तथा 2. सोएब पुत्र कमरूद्दीन निवासी बेलउली खालसा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 को परमानपुर तिराहा से समय करीब 9.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना- तरवां जनपद आजमगढ़: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना तरवाँ पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी चन्दन राम पुत्र लालजी राम ग्राम चन्दवक थाना चन्दवक जि0 जौनपुर द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 02.09.024 को समय करीब 8.30 बजे में बहला-फुसला कर भगा ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/24 धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0 बनाम चन्दन राम पुत्र लालजी राम ग्राम चन्दवक थाना चन्दवक जि0 जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार पाल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । बाद दौराने विवेचना व निरीक्षण घटना स्थल, बयान वादी, पीड़िता का अन्तर्गत धारा 180, 183 बी0एन0एस0एस0 व मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यो के आधार पर धारा 64 बी0एन0एस0 व 3 /4 पाक्सो एक्ट का बढ़ोत्तरी किया गया है ।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 05.010.2024 उ0नि0 दिनेश कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन राम पुत्र लालजी राम ग्राम चन्दवक थाना चन्दवक जि0 जौनपुर को भरथीपुर तिराहा से समय करीब 8.55 बजे मा0न्यायालय के आदेशो – निर्देशो का अक्षरशः पालन कर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना- गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़: अफवाह फैलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.10.2024 को वादी खुर्शीद आलम पुत्र फैजान ग्राम खण्डवारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 26.09.2024 को रात्रि समय करीब 9 से 10 बजे के बीच विपक्षी अभिषेक यादव पुत्र चन्द्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ अपने साथियों जिनकी संख्या 08 थी द्वारा लहबरिया हाईवे के पास मेरे ढाबा के अन्दर आए, खाने के लिए बकरे का रान मसाला तथा वेज का आर्डर किये खाने के समय गलत तरीके से अभिषेक यादव उपरोक्त द्वारा एक वीडियो बनाया गया कि बकरे का रान मशाला नहीं है किसी और जानवर के माँस होने का अफवाह फैलाने व रेस्टोरेन्ट के मैनेजर के साथ गाली गलौज व जान से धमकी दिया, जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 372/2024 धारा 351(1)/352 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.10.2024 को उ0नि0 योगेश कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र चन्द्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को समय 14.30 बजे उसके घर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति. जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए एक आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष व एक अभियुक्ता को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है ।

थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़: एक आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष व एक अभियुक्ता को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है ।

➡ दिनांक- 16.11.2005 को वादी लक्षण राम पुत्र हरिलाल निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया था कि दिनांक 15.11.2005 को अभियुक्तों 1- शंकर राम पुत्र राम लगन, 2-झिनकी देवी पत्नी शंकर राम निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पिता को लाठी डण्डे से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 215/2005 धारा 323, 304, 504, 506 व 34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो गयी ।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 11 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 05.10.2024 **को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों 01.शंकर राम पुत्र राम लगन व 02.झिनकी देवी पत्नी शंकर राम निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को क्रमश: 03 वर्ष एवं 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित** किया गया है ।